

अध्याय I

राजस्व विभाग – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

1.1 संघ सरकार के स्रोत

भारत सरकार के स्रोतों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों के जारी करने से प्राप्त सभी ऋण, आन्तरिक और बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋण की वापसी से प्राप्त समस्त राशियाँ शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व स्रोत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की राजस्व प्राप्ति शामिल हैं। तालिका 1.1 संघ सरकार की प्राप्तियों का सार दर्शाती है जो वित्तीय वर्ष 14 के लिए ₹ 55,83,092 करोड़¹ था। इनमें से, ₹ 11,38,996 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित उसकी अपनी प्राप्तियां ₹ 15,36,024 करोड़ थीं।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

	(₹ करोड़ में)
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	15,36,024
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	6,38,596
ii. अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	5,00,400
iii. सहायता अनुदान एवं अंशदान सहित गैर-कर प्राप्तियां	3,97,028
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	27,553
ग. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	24,549
घ. लोक ऋण प्राप्तियां	39,94,966
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	55,83,092
टिप्पणी : कर प्राप्तियों में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से सौंपे गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से कुल राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 3,18,230 करोड़ शामिल है।	

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

अप्रत्यक्ष कर माल/सेवाओं की आपूर्ति की लागत से संबद्ध है और इस अर्थ में वह व्यक्ति विशिष्ट की बजाए लेन देन विशिष्ट है। संसद के अधिनियमों के तहत लगाए गए मुख्य अप्रत्यक्ष कर/शुल्क नीचे सूचीबद्ध हैं:

¹ स्रोत: वि.व. 14 के संघ वित्त लेखे। आंकड़े अनंतिम हैं। अन्य करों सहित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ वि.व. 14 के संघ वित्त लेखे से ली गई हैं।

क) सीमाशुल्क: भारत में आयातित माल और भारत से निर्यात होने वाले कुछ माल (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83) पर यह शुल्क लगाया जाता है।

ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: यह शुल्क भारत में निर्मित या उत्पादित माल पर लगाया जाता है। संसद को मानव उपभोग के लिए शराब, अफीम, भारतीय गांजा और नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों को छोड़कर किन्तु शराब और अफीम इत्यादि (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84) वाले औषधीय और प्रसाधन पदार्थों सहित भारत में निर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क लगाने की शक्तियां हैं।

ग) सेवाकर: करयोग्य क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि 97)। सेवाकर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर कर है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी में प्रावधान है कि नकारात्मक सूची को छोड़कर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सेवाओं या सेवाएँ देने पर सहमति देने वाली सभी सेवाओं पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा और निर्धारित प्रावधान² के अनुसार कर वसूला जाएगा। 'सेवा' को अधिनियम की धारा 66बी(44) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए किसी भी गतिविधि (इसमें अलग मदों के अलावा) और एक घोषित सेवा³ मानना।

इस अध्याय में वित्त लेखे, विभागीय लेखे और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध संबंधित डाटा से डाटा का उपयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद की प्रवृत्ति, संयोजन और प्रणालीगत मुद्दों पर चर्चा की गई है।

² धारा 66बी को वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1 जुलाई 2012 से शामिल किया गया था; धारा 66डी नकारात्मक सूची वाले मदों को सूचीबद्ध करती है।

³ वित्त अधिनियम की धारा 66ई में घोषित सेवाएँ सूचीबद्ध हैं।

1.3 संगठनात्मक ढांचा

वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग (डीओआर) केन्द्रीय बोर्ड राजस्व अधिनियम, 1963 के अधीन गठित एक सांविधिक बोर्ड नामतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों पर नियंत्रण रखता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और वसूली से संबंधित मुद्दे सीबीईसी द्वारा देखे जाते हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून सीबीईसी द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरियों के माध्यम से प्रशासित होता है। इस उद्देश्य के लिए, देश को 23 ज़ोनो में विभाजित किया गया है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का एक मुख्य आयुक्त प्रत्येक जोन का प्रमुख होता है। इन ज़ोनो में 93 कमिश्नरियां और 4 बड़ी करदाता इकाईयां (एलटीयू) कमिश्नरियां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त की अध्यक्षता में हैं। डिविजन और रैंज उत्तरवर्ती संरचनाएं हैं जिनकी अध्यक्षता क्रमशः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उप/सहायक आयुक्त और अधीक्षक करते हैं।

31 मार्च 2014 तक सीबीईसी की कुल संस्वीकृत कार्यबल संख्या 68,793 है। सीबीईसी का संगठनात्मक ढाँचा परिशिष्ट 1 में दर्शाया गया है।

1.4 अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संयोजन

तालिका 1.2 वि.व. 10 से वि.व. 14 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में सापेक्षित वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर	(₹ करोड़ में)	
				सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व.10	2,45,373	64,77,827	3.79	6,24,527	39.29
वि.व.11	3,45,371	77,95,314	4.43	7,93,307	43.54
वि.व.12	3,92,674	90,09,722	4.36	8,89,118	44.16
वि.व.13	4,74,728	1,01,13,281	4.69	10,36,460	45.80
वि.व.14	5,00,400	1,13,55,073	4.41	11,38,996	43.93


स्रोत: वित्त लेखे।

वि.व. 14 के आंकड़े अनंतिम हैं।

यह देखा जा सकता है कि वि.व. 14 में जीडीपी और सकल कर राजस्व के अनुपात में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में गिरावट आई है जबकि सम्पूर्णता में इसमें वृद्धि हुई है।

1.5 अप्रत्यक्ष कर – संबंधित योगदान

तालिका 1.3 वि.व. 10 से वि.व. 14 की अवधि में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर अवयवों का प्रक्षेप वक्र दर्शाती है। प्रमुख अप्रत्यक्ष करों का संबंधित राजस्व योगदान चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।



तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर – जीडीपी की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सी.शुल्क राजस्व	जीडीपी की % के रूप में सी.शु. राजस्व	के.उ.शु. राजस्व	जीडीपी की % के रूप में के.उ.शु. राजस्व	सेवा कर राजस्व	जीडीपी की % के रूप में सेवा कर राजस्व
वि.व.10	64,77,827	83,324	1.29	1,02,991	1.59	58,422	0.90
वि.व.11	77,95,314	1,35,813	1.74	1,37,701	1.77	71,016	0.91
वि.व.12	90,09,722	1,49,328	1.66	1,44,901	1.61	97,509	1.08
वि.व.13	101,13,281	1,65,346	1.63	1,75,845	1.74	1,32,601	1.31
वि.व.14	113,55,073	1,72,085	1.52	1,69,455	1.49	1,54,780	1.36

स्रोत: कर प्राप्ति के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे के अनुसार हैं।

वि.व. 14 के आंकड़े अनंतिम हैं।

जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क राजस्व के हिस्से में वि.व.14 के दौरान गिरावट आई है जबकि सेवाकर के भाग में वृद्धि हुई है।

1.6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि – प्रवृत्ति एवं संयोजन

तालिका 1.4 वि.व.10 से वि.वि.14 के दौरान समेकित और जीडीपी के संदर्भ में केंद्रीय उत्पाद राजस्व में वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.4: केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सकल कर राजस्व	सकल अप्रत्यक्ष कर	के.उ.शु. राजस्व	जीडीपी की % के रूप में के.उ.शु. राजस्व	सकल कर राजस्व की % के रूप में के.उ.शु. राजस्व	अप्रत्यक्ष कर की % के रूप में के.उ.शु. राजस्व
वि.व.10	64,77,827	6,24,527	2,45,373	1,02,991	1.59	16.49	41.97
वि.व.11	77,95,314	7,93,307	3,45,371	1,37,701	1.77	17.36	39.87
वि.व.12	90,09,722	8,89,118	3,92,674	1,44,901	1.61	16.30	36.90
वि.व.13	1,01,13,281	10,36,460	4,74,728	1,75,845	1.74	16.97	37.04
वि.व.14	1,13,55,073	11,38,996	5,00,400	1,69,455	1.49	14.88	33.86

स्रोत: वित्त लेखे

वि.व.14 के आंकड़े अनंतिम

यह देखा जा सकता है कि पिछले दस वर्षों में जीडीपी, सकल कर राजस्व और अप्रत्यक्ष कर के अनुपात के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में गिरावट आई है। वि.व.14 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ, सकल कर राजस्व की लगभग 15 प्रतिशत थीं।

1.7 उपयोग किए गए सेनवेट क्रेडिट की तुलना में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ


एक निर्माता, उत्पादन सामग्री या पूँजीगत माल पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ, उसके निर्माण कार्य से संबंधित इनपुट सेवाओं पर अदा किए गए सेवाकर के क्रेडिट का लाभ ले सकता है तथा इस प्रकार लिए गये क्रेडिट का उपयोग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में कर सकता है।

तालिका 1.5 तथा चार्ट 1.2, वि.व. 10 से वि.व. 14 के दौरान नगदी (पीएलए) तथा सेनवेट क्रेडिट द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.5: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां: पीएलए तथा सेनवेट का उपयोग
(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएलए द्वारा प्रदत्त के.उ.शु.		सेनवेट क्रेडिट* द्वारा प्रदत्त के.उ.शु.		पीएलए भुगतान के % के रूप में सेनवेट क्रेडिट से प्रदत्त के.उ.शु.
	राशि	पिछले वर्ष से % वृद्धि	राशि	पिछले वर्ष से % वृद्धि	
वि.व.10	1,02,991	-	1,19,982	-	116.50
वि.व.11	1,37,701	33.70	1,70,058	41.74	123.50
वि.व.12	1,44,901	5.23	2,14,014	25.85	147.70
वि.व.13	1,75,845	21.36	2,58,697	20.88	147.12
वि.व.14	1,69,455	-3.63	2,73,323	5.65	161.30

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े




स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े

यह देखा जा सकता है कि सेनवेट क्रेडिट से भुगतान पिछले पाँच वर्षों में वि.व. 10 में पीएलए के 117 प्रतिशत से बढ़कर वि.व. 14 में 161 प्रतिशत हो गया।

1.8 प्रमुख वस्तुओं से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

चार्ट 1.3 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व (वि.व. 14) में वस्तु समूह का भाग दर्शाता है।



स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि पेट्रोलियम (53 प्रतिशत), लौह एवं इस्पात (10 प्रतिशत), तम्बाकू उत्पाद (10 प्रतिशत), सीमेंट (6 प्रतिशत), मोटर वाहन (5 प्रतिशत), रसायन उत्पाद (3 प्रतिशत), प्लास्टिक (3 प्रतिशत) और मशीनरी उत्पाद (2 प्रतिशत) आठ उच्चतम राजस्व अर्जक थे और वि.व. 14 में कुल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में इन सभी का योगदान 92 प्रतिशत था।

तालिका 1.6 पिछले पांच वर्षों के दौरान इन वस्तुओं से राजस्व को दर्शाती है।

तालिका 1.6: पिछले पांच वर्षों के दौरान शीर्ष उपज वस्तुओं से राजस्व

(₹ करोड़ में)

वस्तुएँ	वि.व. 10	वि.व. 11	वि.व. 12	वि.व. 13	वि.व. 14
पेट्रोलियम उत्पाद	63,600	76,023	74,112	84,188	88,065
लोह एवं इस्पात	9,786	14,483	13,813	17,603	17,342
तम्बाकू उत्पाद	12,302	13,977	15,682	17,991	16,050
सीमेंट	5,185	7,458	8,952	10,712	10,308
मोटर वाहन	5,176	7,024	7,447	10,038	8,363
रसायन उत्पाद	1,618	2,802	3,443	4,872	4,845
प्लास्टिक	1,355	2,368	2,931	4,259	4,298
मशीनरी	1,876	2,799	3,452	4,559	3,761
अन्य	8,239	9,529	12,841	19,176	14,267

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि वि. व. 14 के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद और प्लास्टिक को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं ने नकरात्मक वृद्धि दर्शाई।

1.9 कर आधार

“निर्धारिती” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिस पर निर्धारित शुल्क का भुगतान देय है या उत्पाद शुल्कयोग्य माल का निर्माता अथवा उत्पादक है अथवा निजी माल गोदाम, जिसमें उत्पाद शुल्क योग्य माल संग्रहित किया जाता है, का पंजीकृत व्यक्ति है तथा इसमें ऐसे व्यक्ति का प्राधिकृत एजेंट भी शामिल है। एक एकल कानूनी सत्व (कम्पनी अथवा व्यक्ति) की विनिर्माण इकाइयों के स्थान पर आधारित कई निर्धारिती पहचान हो सकती हैं। तालिका 1.7 पिछले दस वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारितियों की संख्या बताती हैं:

तालिका 1.7: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कर आधार

वर्ष	निर्धारितियों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
वि.व. 10	3,19,588	-
वि.व. 11	3,51,293	9.92
वि.व. 12	3,82,218	8.80
वि.व. 13	4,09,707	7.19
वि.व. 14	4,35,668	6.34

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या में स्थिर वृद्धि हुई है।

1.10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बजटीय मुद्दे

तालिका 1.8 बजट आकलन और वास्तविक केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों की तुलना दर्शाती है।

तालिका 1.8: बजट, संशोधित आकलन और वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	संशोधित बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	वास्तविक एवं बीई के बीच अंतर	वास्तविक और बीई के बीच अंतर की %	वास्तविक और आरई के बीच अंतर की %
वि.व. 10	1,06,477	1,02,000	1,02,991	(-)3,486	(-)3.27	(+)0.97
वि.व. 11	1,32,000	1,37,778	1,37,701	(+)5,701	(+)4.32	(-)0.06
वि.व. 12	1,64,116	1,50,696	1,44,901	(-)19,215	(-)11.71	(-)3.85
वि.व. 13	1,94,350	1,71,996	1,75,845	(-)18,505	(-)9.52	(+)2.24
वि.व. 14	1,97,554	1,79,537	1,69,455	(-)28,099	(-)14.22	(-)5.62

स्रोत: संघ बजट एवं वित्त लेखे

वि.व. 14 के आंकड़े अनंतिम हैं।

यह देखा जा सकता है कि वि.व. 14 के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों में बजट प्राकलन से 14.22 प्रतिशत तक गिरावट आई है।

1.11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत परित्यक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

केंद्र सरकार को केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 5ए(1) के तहत जनहित में छूट अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि शुल्क दरों को अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम निर्धारित किया जा सके। छूट अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरें “प्रभावी दरों” के रूप में जानी जाती हैं। परित्यक्त राजस्व को, छूट अधिसूचना के बिना देय शुल्क और उक्त अधिसूचना के अनुसार अदा किए गए शुल्क के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है-

- ऐसे मामले जहाँ टैरिफ और प्रभावी दरें मूल्यानुसार विनिर्दिष्ट होते हैं-
छोड़ा गया राजस्व = सामान का मूल्य X (शुल्क का टैरिफ दर - शुल्क का प्रभावी दर)
- ऐसे मामले में जहाँ टैरिफ दर सममूल्य पर है किन्तु छूट अधिसूचना के अनुसार निर्धारित दर पर प्रभावी शुल्क वसूला जाता है तब -
परित्यक्त राजस्व = (सामान का मूल्य X शुल्क का टैरिफ दर) - (सामान की मात्रा X विशेष शुल्क की प्रभावी दर)

- ऐसे मामले में जहाँ टैरिफ दर और प्रभावी दर सममूल्य तथा विशिष्ट दरों का संयोजन है, परित्यक्त राजस्व की गणना उसके अनुसार की जाती है।
- सभी मामलों में, जहाँ शुल्क का टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर हो, परित्यक्त राजस्व शून्य होगा।

धारा 5ए(1) के तहत सामान्य छूट अधिसूचना जारी करने की शक्तियों के अतिरिक्त केंद्र सरकार के पास केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 5ए(2) द्वारा अपवाद परिस्थितियों के तहत मामले दर मामले आधार पर उत्पाद शुल्क छूट देने हेतु विशेष आदेश जारी करने का भी अधिकार है। हालांकि, सामान्य छूट जो केंद्र सरकार की राजकोषीय नाति का अभिन्न अंग होती हैं, के विपरीत छूट आदेश जारी करने का मुख्य उद्देश्य अपवादात्मक परिस्थितियों से निपटान है। इस प्रकार, विशेष छूट आदेश जारी करने के कारण परित्यक्त राजस्व की गणना परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों में नहीं की जा रही हैं।

तालिका 1.9 पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ सरकार के बजटीय दस्तावेजों में सूचित अनुसार परित्यक्त राजस्व से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आँकड़ों को दर्शाती है।

तालिका 1.9: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां तथा कुल परित्यक्त राजस्व

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां	परित्यक्त राजस्व	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों के % के रूप में परित्यक्त राजस्व
वि.व. 10	1,02,991	1,69,121	164.21
वि.व. 11	1,37,701	1,92,227	139.60
वि.व. 12	1,44,901	1,95,590	134.98
वि.व. 13	1,75,845	2,09,940	119.39
वि.व. 14	1,69,455	1,95,679	115.48

स्रोत: संघ प्राप्तियां, बजट, वित्त लेखे

यह देखा जा सकता है कि उत्पाद शुल्कों के संदर्भ में वि.व. 14 के लिए परित्यक्त राजस्व ₹ 1,95,679 करोड़ (सामान्य छूट के रूप में ₹1,77,680 करोड़ तथा क्षेत्र आधारित छूटों के रूप में ₹ 17,999 करोड़) था जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का 115 प्रतिशत है।

1.12 व्यापार सुविधा

1.12.1 बड़ी करदाता इकाइयाँ (एलटीयू) का निर्माण

व्यापार सुविधा के लिए विभाग द्वारा एलटीयू को स्थापित किया गया है। एक एलटीयू राजस्व विभाग के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, आयकर तथा कॉरपोरेट टैक्स से संबंधित सभी मामलों के लिए एक एकल खिड़की निकासी बिन्दु के रूप में कार्य करने वाला एक आत्मनिर्भर कर कार्यालय है। पात्र कर दाता जो एलटीयू में निर्धारण के लिए चुनाव करते हैं, वे ऐसे एलटीयू पर अपनी उत्पाद शुल्क विवरणी, प्रत्यक्षकर विवरणी तथा सेवा कर विवरणी फाइल करने में सक्षम होंगे तथा इसके तहत सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए इन सभी करों को निर्धारित किया जाएगा। इन इकाइयों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर/शुल्क भुगतान, दस्तावेजों तथा विवरणियों की फाइलिंग, छूट/प्रतिदाय के दावे, विवादों के निपटान आदि से संबंधित सभी मामलों में कर दाताओं की सहायता करने के लिए आधुनिक सुविधाओं तथा प्रशिक्षित मानव शक्ति से समर्थ बनाया जा रहा है। व्यापार सुविधा के लिए दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु तथा चेन्नई में चार एलटीयू को स्थापित किया गया है।

1.12.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का स्वचालन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का स्वचालन (एसीईएस) सीबीईसी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा ई-गवर्नेंस की पहल है। यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत भारत सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) में से एक है। यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में कर दाता सेवाओं, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा दक्षता में सुधार लाने के लिए लक्षित है। यह एप्लीकेशन एक वेब आधारित तथा कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली है जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर की सभी प्रमुख प्रक्रियाएं स्वचालित हैं।

1.13 केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के बकाया

कानून, मांगे गये किन्तु वसूल न हो पाये राजस्व की वसूली के विभिन्न तरीके प्रदान करता है। इसमें उस व्यक्ति, जिससे राजस्व वसूल किया जाना है, को देय राशि, यदि कोई हो, का समायोजन, जब्त किए गए उत्पाद शुल्क योग्य माल की बिक्री द्वारा वसूली और जिला राजस्व प्राधिकरण द्वारा भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली किया जाना शामिल है।

तालिका 1.10 बकाया राजस्व की वसूली के संदर्भ में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.10 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में बकाया वसूली

वर्ष	वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान संग्रहण	वर्ष के अंत में लंबित बकाया वसूली	(₹ करोड़ में)	
				संग्रहण, वर्ष के आरंभ में बकाये के % के रूप में	
वि.व. 12	34,945	1,125	35,964		3.22
वि.व. 13	35,964	1560	45,463		4.34
वि.व. 14	45,463	1178	59,309		2.59

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि संग्रहण वि.व. 13 में 4.34 प्रतिशत की तुलना में वि.व.14 के दौरान 2.59 प्रतिशत तक कम हुआ है। विभाग के वसूली तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

1.14 अपवंचन रोधी उपायों के कारण उगाही किया गया अतिरिक्त राजस्व

डीजीसीईआई के साथ-साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर आयुक्तालयों की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलो का पता लगाने के कार्य में सुपरिभाषित भूमिका है। जबकि आयुक्तालय, क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इकाईयों के बारे में उनके व्यापक डाटा बेस तथा क्षेत्र में उपस्थिति के कारण शुल्क अपवंचन को रोकने हेतु प्रथम रक्षा स्तर है, डीजीसीईआई को वास्तविक राजस्व के अपवंचन के बारे में विशिष्ट आसूचना संग्रहण में विशिष्टता प्राप्त है। इस प्रकार से संग्रहीत आसूचना, आयुक्तालयों से साझा की जाती है और अखिल भारतीय के स्तर के मामलों में जांच भी डीजीसीईआई द्वारा की जाती है।

तालिका 1.11 तथा 1.12 विगत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई तथा आयुक्तालयों के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.11: विगत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का प्रति-अपवंचन निष्पादन
(₹ करोड़ में)

वर्ष	पकड़े गए मामलें		जांच के दौरान स्वैच्छिक अदायगी
	मामलों की संख्या	राशि	राशि
वि.व. 12	450	1,140	255
वि.व. 13	458	2,940	1,019
वि.व. 14	384	1,947	363

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि डीजीसीईआई द्वारा पता लगाए गए मामलों की संख्या तथा जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान वि.व. 13 की तुलना में वि.व. 14 के दौरान अधिक कम हुआ है।

तालिका 1.12: विगत तीन वर्षों के दौरान आयुक्तालयों का प्रति-अपवंचन निष्पादन
(₹ करोड़ में)

वर्ष	पकड़े गए मामलें		जांच के दौरान स्वैच्छिक अदायगी
	मामलों की संख्या	राशि	राशि
वि.व. 12	2,877	2,788	965
वि.व. 13	2,150	3,415	482
वि.व. 14	2,222	2,790	450

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

आयुक्तालय स्तर पर, यद्यपि पता लगाए गए मामलों की संख्या बढी है परन्तु जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान वि.व.13 की तुलना में वि.व. 14 में कम हुआ है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कर प्रशासन

1.15 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा

सीबीईसी ने 1996 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में स्व-निर्धारण प्रारम्भ किया। स्व-निर्धारण के प्रारम्भ के साथ, विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा एक मजबूत अनुपालन सत्यापन तंत्र भी प्रदान किया। निर्धारण, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों, जिन्हें शुल्क भुगतान की यथार्थता सुनिश्चित करने के

लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा करनी होती है, का मूल कार्य है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा मैनुअल के अनुसार, रैंज अधिकारी द्वारा डिवीजन के क्षेत्राधिकारी सहायक/उप आयुक्त को प्राप्त तथा संवीक्षित विवरणियों की संख्या के संदर्भ में एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। संवीक्षा दो चरणों में की जाती है अर्थात् प्राथमिक संवीक्षा एसीईएस द्वारा की जाती है एवं विस्तृत संवीक्षा जो एसीईएस अथवा अन्यथा द्वारा चिन्हित विवरणियों पर मैनुअली की जाती है।

1.15.1 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य जानकारी की सम्पूर्णता, विवरणी की समय पर प्रस्तुति, शुल्क का समय पर भुगतान, शुल्क के रूप में संगणित राशि की अंकगणितीय यर्थाथता तथा नॉन फाइलर्स तथा स्टॉप फाइलर्स की पहचान सुनिश्चित करना है।

तालिका 1.13 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा के संदर्भ में विभाग का निष्पादन दर्शाती है।

तालिका 1.13: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

वर्ष	एसीईएस द्वारा भरे गए विवरणियों की संख्या	समीक्षा एवं सुधार हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	समीक्षा एवं सुधार हेतु चिन्हित विवरणियों का प्रतिशत	समीक्षा एवं सुधार के पश्चात निकासित विवरणियों की संख्या	समीक्षा एवं सुधार हेतु लम्बित विवरणियों की संख्या	सुधार हेतु लम्बित चिन्हित विवरणियों की संख्या
वि.व.12	17,00,773	16,39,176	96.38	6,95,098	9,44,078	57.59
वि.व.13	29,08,856	27,78,012	95.50	19,67,536	8,10,476	29.17
वि.व.14	14,67,149	11,86,384	80.86	7,33,141	4,53,243	38.20

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि एसीईएस द्वारा संवीक्षित मामलों की बहुत अधिक प्रतिशतता को समीक्षा तथा सुधार के लिए चिन्हित किया गया था। यह भी पाया गया कि एसीईएस में जमा की गयी विवरणियों की संख्या वि.व. 13 की

तुलना में वि.व. 14 में तीव्रता से नीचे आई है जिसकी जांच की आवश्यकता है।

तथ्य यह है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को 1 अक्टूबर 2011 से प्रभाविता के साथ प्रारम्भ किया गया है तथा इसीलिए एसीईएस के माध्यम से विवरणी संवीक्षा को कम से कम 2013-14 तक स्थिर हो जाना चाहिए था। ऑनलाइन संवीक्षा प्रारम्भ करने के पीछे मुख्य कारणों में से एक विस्तृत संवीक्षा के लिए श्रमशक्ति प्रदान करना था जो बाद में रेंज/समूह का मुख्य कार्य बन सकता था।

संविक्षित विवरणियों की बहुत अधिक प्रतिशतता को समीक्षा एवं सुधार के लिए चिन्हित किया जा रहा है तथा इसके परिणामस्वरूप सुधारात्मक कार्रवाई के लिए लम्बित विवरणियों की अधिक संख्या एसीईसी प्रणाली में कमी को दर्शाती है जिसे तत्काल विभाग को बताने की आवश्यकता है। एसीईएस में समीक्षा की पूर्णता तथा विवरणियों का सुधार निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत बाद की विवरणियों की संवीक्षा के लिए प्रथम आवश्यकता है।

1.15.2 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर विवरणी में प्रस्तुत सूचना की वैधता स्थापित करना है तथा मूल्यांकन की शुद्धता, सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना, वर्गीकरण तथा ली गई छूट अधिसूचना की स्वीकार्यता पर ध्यान देने के बाद लागू कर की प्रभावी दर आदि को सुनिश्चित करना है। प्राथमिक संवीक्षा से भिन्न, विस्तृत संवीक्षा करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में प्रस्तुत सूचना से विकसित जोखिम मापदंडों के आधार पर पहचानी गई कुछ चयनित विवरणियों को कवर करने के लिए है।

तालिका 1.14 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा करने में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.14 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

वर्ष	विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	विवरणियों की सं. जहाँ विस्तृत संवीक्षा की गई थी	विवरणियों की संख्या जहाँ विस्तृत समीक्षा लम्बित थी।	लंबन की अवधि-वार विघटन		
				6 माह से 1 वर्ष के मध्य से लम्बित विवरणियाँ	1 से 2 वर्ष के मध्य से लम्बित विवरणियाँ	1 वर्ष से अधिक के लिए लम्बित विवरणियाँ
वि.व. 12	27,404	13,055	14,142	13,701	452	20
वि.व.13	50,039	38,900	10,144	8,108	1,684	240
वि.व.14	10,665	6,894	3,771	3,787	796	116

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

वि.व. 14 के लिए विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या वि.व.12 तथा वि.व. 13 की तुलना में काफी नीचे आई है। मंत्रालय को वि.व. 14 में की गई विस्तृत संवीक्षा की संख्या में भारी कमी की जांच करने की आवश्यकता है।

आगे यह देखा गया कि मंत्रालय द्वारा वि.व. 14 के लिए दिया गया डाटा केवल अंकगणितीय रूप से ही गलत नहीं था अपितु इसे उनके क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त करने के पश्चात लेखापरीक्षा को दिया गया था जिससे काफी विलम्ब हुआ। लेखापरीक्षा का मत है कि आईटी के काल में, इस प्रकार के मुख्य आंकड़े बोर्ड के पास उपलब्ध होने चाहिए।

1.16 अधिनिर्णय

अधिनिर्णय एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारित की कर देयता से संबंधित मामलों को निर्धारित करते हैं। इस प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ सेनवेट क्रेडिट, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावे, प्रावधानिक निर्धारण आदि से संबंधित मत सम्मिलित हो सकते हैं। अधिनिर्णायक प्राधिकारण के निर्णय को निर्दिष्ट प्रक्रियाओं को अनुसार एक अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

तालिका 1.15 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनिर्णय का समयवार विश्लेषण दर्शाती है।

तालिका 1.15: विभागीय प्राधिकरण के पास अधिनिर्णय हेतु लम्बित मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च को लम्बित मामले		मामलों का अवधि-वार विघटन		
	मामलों की सं.	राशि	एक वर्ष से कम से लम्बित मामले	एक वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्षों से कम से लम्बित मामले	तीन वर्षों से अधिक से लम्बित मामले
			मामलों की सं.	मामलों की सं.	मामलों की सं.
वि.व.12	17,418	16,637	16,227	883	308
वि.व.13	16,801	16,020	15,712	909	184
वि.व.14	20,428	21,734	17,286	2,625	517

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2014 तक ₹ 21,734 करोड़ के शुल्क वाले मामले अधिनिर्णय के लिए लम्बित थे। यह भी देखा गया कि 517 मामले तीन से अधिक वर्षों के लिए लम्बित थे। कुल मिलाकर वि.व. 14 में लम्बित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई थी।

1.17 प्रतिदाय

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11बी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के दावे तथा अनुदान के प्रतिदाय के लिए कानूनी अधिकार देती है। प्रतिदाय शब्द में भारत से बाहर निर्यातित उत्पाद शुल्क योग्य माल पर किए गए उत्पाद शुल्क के भुगतान पर रिबेट के साथ साथ भारत के बाहर निर्यातित माल के निर्माण में उपयुक्त सामग्री पर भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क सम्मिलित है।

तालिका 1.16 पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग के निष्पादन से संबंधित प्रतिदाय का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.16: पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में प्रतिदाय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे आदि शेष सहित		वर्ष के दौरान निपटान						अन्तः शेष	
			वर्ष के दौरान संस्वीकृत प्रतिदाय		90 दिनों के भीतर निपटाए गए मामले	लम्बित निपटान	मामले जहां ब्याज का भुगतान किया गया			
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	दिया गया ब्याज	मामलों की संख्या	राशि
वि.व.12	2,04,473	32,215	1,65,229	27,138	1,58,538	6,691	18	7	39,244	5,077
वि.व.13	2,15,146	26,873	1,70,797	21,139	1,64,669	6,128	20	15	44,349	5,734
वि.व.14	2,70,321	28,461	2,09,549	11,875	1,98,256	64,215	241	91	60,754	4,714

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

उपलब्ध डाटा के आधार पर यह देखा गया कि विलम्बित प्रतिदाय पर ब्याज का भुगतान करने के लिए विभाग पर एक दायित्व है इस तथ्य के बावजूद, विभाग अधिकतर मामलों में निर्धारिती को ब्याज का भुगतान नहीं कर रहा है। बोर्ड अपने क्षेत्रीय संगठनों को प्रत्यक्ष कर की भांति विलम्बित प्रतिदायों पर ब्याज का स्वतः भुगतान करने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

आगे यह देखा गया कि मंत्रालय द्वारा वि.व. 14 के लिए दिया गया डाटा केवल अंकगणितीय रूप से ही गलत नहीं था अपितु इसे उनके क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त करने के पश्चात लेखापरीक्षा को दिया गया था जिससे काफी विलम्ब हुआ। लेखापरीक्षा का मत है कि आईटी के काल में, इस प्रकार के मुख्य आंकड़े बोर्ड के पास उपलब्ध होने चाहिए।

1.18 कॉल बुक

विषय से संबंधित मौजूदा परिपत्र में यह परिकल्पना की गई है कि मामले जिनका कतिपय कारणों जैसे विभागीय अपील, न्यायालय से आदेश, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लेखापरीक्षा आपत्तियों पर वाद-विवाद आदि के कारण अधिनिर्णय नहीं हो सकता, की कॉल बुक में प्रविष्टि की जाए। सदस्य (के.उ.शु.) ने दिनांक 3 जनवरी 2005 के अपने डी.ओ.एफ. सं.

101/2/2003-सीएक्स-3 में यह जोर दिया था कि कॉल बुक के मामलों की प्रत्येक माह समीक्षा की जानी चाहिए। महानिदेशक निरीक्षण (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) ने दिनांक 29 दिसम्बर 2005 के अपने पत्र में यह कहते हुए कि माहवार समीक्षा से कॉल बुक में अपुष्ट माँगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है, मासिक समीक्षा की आवश्यकता को दोहराया।

तालिका 1.17 हाल ही के वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कॉल बुक क्लियरेंस के संदर्भ में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.17: 31 मार्च तक लम्बित कॉल बुक मामले

वर्ष	वर्ष के दौरान कॉल बुक में हस्तांतरित नये मामले	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के अन्त में अन्तः शेष	शामिल राजस्व (₹ करोड़ में)	वर्ष के अन्त में लम्बन का अवधिकवार विघटन		
					6 माह से कम	6-12 माह	1 वर्ष से अधिक
वि.व.12	7,927	4,867	30,542	46,586	5,702	2,874	21,966
वि.व.13	6,502	5,966	29,143	45,267	4,609	2,958	21,576
वि.व.14	7,278	4,126	36,464	64,356	6,179	3,419	26,866

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि कॉल बुक में मामलों का लम्बन अभी भी बहुत अधिक है जो कॉल बुक मर्चों की समीक्षा प्रक्रिया की बारीकी से समीक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है। वि.व. 14 के दौरान, कॉल बुक लम्बित मामलों की संख्या 36,464 तक पहुंच गई थी।

1.19 संग्रहण की लागत

तालिका 1.18 संग्रहण लागत की तुलना में राजस्व संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.18: केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्राप्तियां और संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	सेवा कर से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	संग्रहण की लागत	कुल प्राप्तियों के % के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व.10	1,02,991	58,422	1,61,413	2,127	1.32
वि.व.11	1,37,901	71,016	2,08,917	2,072	0.99
वि.व.12	1,44,540	97,356	2,41,896	2,227	0.92
वि.व.13	1,75,845	1,32,601	3,08,446	2,439	0.79
वि.व.14	1,69,455	1,54,780	3,24,235	2,635	0.81

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखे,

वित्तीय वर्ष 14 के लिए आंकड़े प्रावधानिक हैं

यह देखा जा सकता है कि स्वचालन तथा आईसीटी के व्यापक उपयोग के बावजूद, संग्रहण लागत का वृद्धि प्रवृत्ति दर्शाना जारी है।

1.20 आन्तरिक लेखापरीक्षा

भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का आधुनिकीकरण कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नई लेखापरीक्षा प्रणाली ईए 2000 की चार अलग विशेषताएं हैं: जोखिम विश्लेषण के पश्चात वैज्ञानिक चयन, पूर्व-तैयारी पर जोर, सांविधिक रिकार्ड के प्रतिव्यवसायिक रिकार्ड की संवीक्षा तथा लेखापरीक्षा बिन्दुओं की समीक्षा।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक समीक्षा, प्रणाली की सूचना को एकत्र करना तथा दस्तावेजीकरण करना, आन्तरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करना, राजस्व तथा पद्धतियों के लिए जोखिम का विश्लेषण करना, लेखापरीक्षा योजना का विकास करना, वास्तविक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा आपत्तियों की तैयारी, निर्धारिती/रेंज अधिकारी/संभागीय सहायक आयुक्त के साथ परिणामों की समीक्षा करना तथा रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना शामिल है।

लेखापरीक्षा तंत्र के तीन भाग होते हैं। लेखापरीक्षा महानिदेशालय तथा क्षेत्रीय आयुक्तालय लेखापरीक्षा के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को शेर कर रहे हैं। जबकि निदेशालय, लेखापरीक्षा परिणामों के संग्रहण, अनुपालन तथा विशेषण तथा कर अनुपालन के सुधार हेतु सीबीईसी को इसकी प्रतिपुष्टि तथा ग्राहक की संतुष्टि के स्तर को आंकने के लिए उत्तरदायी है, आयुक्तालयों के

लेखापरीक्षा दल, ईए 2000 लेखापरीक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार लेखापरीक्षा करते हैं। लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, सीबीईसी ने लेखापरीक्षा नियमावली, जोखिम प्रबंधन नियमावली तथा ईए 2000 तथा सीएएटी में लेखापरीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नियमावली जो लेखापरीक्षा संचालन हेतु विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करते हैं के विकास में एशियाई विकास बैंक की सहायता ली। तालिका 1.19 लेखापरीक्षित इकाईयों की तुलना में आयुक्तालयों के लेखापरीक्षा दलों द्वारा लेखापरीक्षा (वि.व. 14 के दौरान) के लिए देय सेवा कर इकाईयों के विवरण को दर्शाती है।

तालिका 1.19 वि.व. 14 के दौरान की गई निर्धारितियों की लेखापरीक्षा

वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए+सेनवेट)	आवधिकता	देय इकाईयों की संख्या	योजनित इकाईयों की संख्या	लेखापरी- क्षित इकाईयों की संख्या	लेखापरी- क्षा में कमी (%)
< ₹ 3 करोड़ के.उ.शु. का भुगतान करने वाली इकाइयां (वर्ग ए)	वार्षिक	12,502	12,110	10,647	12.08
₹ 1 तथा ₹ 3 करोड़ के बीच के.उ.शु. का भुगतान करने वाली इकाइयां (वर्ग बी)	द्विवार्षिक	6,734	6,773	5,613	17.13
₹ 50 लाख तथा ₹ 1 करोड़ के बीच के.उ.शु. का भुगतान करने वाली इकाईयां (वर्ग सी)	एक बार पांच साल में	2,688	2,897	2,537	12.43
< ₹ 50 लाख के.उ.शु. का भुगतान करने वाली इकाईयां (वर्ग डी)	हर साल 10%	8,319	7,193	5,639	21.60

स्रोत : मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि 'वर्ग ए' तथा 'वर्ग बी' इकाईयों (अनिवार्य इकाइयां तथा अधिक राजस्व गैर अनिवार्य इकाईयां) की कवरेज में कमी थी।

1.21 लेखापरीक्षा प्रयास तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद - अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

लेखापरीक्षा मानक द्वितीय संस्करण 2002 के कुशल लेखापरीक्षा मानकों को उपयोग करते हुए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा

गुणवत्ता प्रबंधन फ्रेमवर्क 2009 के अनुसार अनुपालन लेखापरीक्षा को प्रबंधित किया गया।

1.22 जानकारी के स्रोत तथा परामर्श की प्रक्रिया

राजस्व विभाग, सीबीईसी तथा इसके क्षेत्रीय संगठनों में मूल अभिलेखो/दस्तावेजों की जांच, सीबीईसी के एमआईएस, एमटीआर के साथ अन्य हिस्सा धारकों की रिपोर्टों के साथ संघ वित्त लेखे का डाटा का उपयोग किया गया। हमारे नौ क्षेत्रीय कार्यालय, महानिदेशकों (डीजी)/प्रधान निदेशक (पीडी) लेखापरीक्षा द्वारा अध्यक्षित है जिन्होंने वि.व. 14 में 1,086 (के.उ.शु. एवं सेवा कर) इकाईयों कि लेखापरीक्षा को प्रबंधित किया था।

1.23 रिपोर्ट विहंगावलोकन

वर्तमान रिपोर्ट में ₹ 125.11 करोड़ के 68 पैराग्राफ है। इसमें सामान्यतया चार प्रकार के अवलोकन हैं: सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना/उपयोग करना, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना/कम भुगतान करना, आन्तरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता तथा अन्य मुद्दे। विभाग/मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस के जारी करने एवं अधिनिर्णय के रूप में ₹ 90.71 करोड़ की धन राशि वाले 60 पैराग्राफो के मामलों में पहले ही सुधारात्मक कार्रवाई कर ली थी तथा 28 मामलों में ₹ 27.44 करोड़ की वसूली सूचित की।

1.24 अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई

तालिका 1.20 अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई तथा मार्च 2014 तक उनकी स्थिति को दर्शाती है।

तालिका संख्या 1.20: अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई

रिपोर्ट संख्या	सीबीईसी	
	लम्बित एटीएन	प्राप्त न होने वाले एटीएन
2009-10 की अ.ले.प. प्रतिवेदन सं. 12(के.उ.शु)	2	-
2013 की अ.ले. प. प्रतिवेदन सं 17 (के.उ.शु एवं सेवा कर)	2	-
जोड़	4	-

1.25 निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

निष्पादन लेखापरीक्षा को यह सुनिश्चित करने कि प्रणाली तथा प्रक्रियाएं पर्याप्त थी तथा सीबीईसी द्वारा उनका पालन किया जा रहा था, के लिए किया गया। इस वर्ष हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में अभियोजन एवं जुर्माना के प्रबंधन तथा मोटर वाहन क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर निष्पादन लेखापरीक्षा को कवर किया। ये रिपोर्ट संसद में क्रमशः 28 नवम्बर 2014 तथा 19 दिसम्बर 2014 को प्रस्तुत की गई थी।

1.26 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा रिपोर्टों का राजस्व प्रभाव/अनुवर्ती कार्रवाई

पिछली पांच अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट सहित) हमने ₹ 863.10 करोड़ वाले 526 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (तालिका 1.21) सम्मिलित किए थे।

तालिका 1.21 लेखापरीक्षा रिपोर्टों की आगे की कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

वर्ष		वि.व.10	वि.व.11	वि.व.12	वि.व.13	वि.व.14	कुल	
सम्मिलित पैराग्राफ	सं.	150	159	87	62	68	526	
	राशि	327.77	158.00	69.32	182.90	125.11	863.10	
संस्वीकृत पैराग्राफ	पूर्व प्रिटिंग	सं.	91	133	85	58	60	427
		राशि	62.07	117.64	67.07	179.44	90.71	516.93
	पश्च प्रिटिंग	सं.	7	15	6	-	-	28
		राशि	9.58	34.76	8.34	-	-	52.68
	कुल	सं.	98	148	91	58	60	455
		राशि	71.65	152.40	75.41	179.44	90.71	569.61
प्रभावित वसूली	पूर्व प्रिटिंग	सं.	55	67	48	36	28	234
		राशि	29.12	46.60	24.72	21.29	27.44	149.17
	पश्च प्रिटिंग	सं.	6	3	1	-	-	10
		राशि	7.50	0.19	0.04	-	-	7.73
	कुल	सं.	61	70	49	36	28	244
		राशि	36.62	46.79	24.76	21.29	27.44	156.90

स्रोत : सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

यह देखा जा सकता कि मंत्रालय ने ₹ 569.61 करोड़ वाले 455 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की थी तथा ₹ 156.90 करोड़ वसूल किए थे।